



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में एक आरोपी को **05 वर्ष का कारावास व 15,000/-रुपये** के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक **06.08.2026** को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 14.04.2023 को अभियुक्तगण विकास पुत्र नेमचन्द निवासी मौहल्ला उपाध्यायनगर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 171/2023 धारा 354क भादवि व 9M/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 16.05.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 06.08.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो एक्ट द्वितीय हापुड़ द्वारा **05 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करूणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री नितीन चौधरी, पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहरीर है0का0 रविश कुमार का विशेष योगदान रहा।

